


27.08.2024:--पत्रावली आज पत्रावली किरणजीत कोर के प्रार्थना पत्र पर पेशी मे लिया गया। वादीया जरिये अधिवक्ता श्री यादवेन्द्र सिंह सेखो द्वारा प्रार्थना पत्र मय वकालतनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादी व प्रतिवादी के मध्य मे लोक अलालत की भावना से प्रेरित होकर आपस मे राजीनाम हो गया है इसलिए वाद पत्र मे आगे कोई कार्यवाही नही करना चाहते। इसलिए वाद पत्र वर्तमान स्तर पर खारिज (विद्वा) फरमाया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन उक्त वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादपत्र मौजूदा सूरत मे विद्वा (खारिज) किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफतर हो।


सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

